अनुसूची–तीन

(नियम 11 (3) देखिये)

लाइसेंस देने का प्ररुप

प्ररुप – ठद–3

उत्तर प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की मरम्मत के लिये लाइसेंस

लाइसेंस संख्या 72/कर्ता (सम्पूर्ण उ0प्र0) **वर्ष 2018**

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पता) निम्नलिखित की मरम्मत के लिये लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।

मैसर्स गिरीश चन्द्र घोष एण्ड जी.जी.एस.,

88/17 राम गोपाल विद्यान्त रोड, लखनऊ।

स्वत्वधारी/भागीदार

1. श्रीमती ज्योत्सना घोष पत्नी श्री संजीब कुमार घोष म0नं0– 39ए, बी.टी. रोड, कलकत्ता–700002 (पश्चिम बंगाल)।
2. श्री सुप्रियो घोष पुत्र श्री संजीब कुमार घोष म0नं0– 39ए, बी.टी. रोड, कलकत्ता–700002 (पश्चिम बंगाल)।

(यहाँ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योंरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा मरम्मत किये जाने के लिऐ लाइसेंस दिया जाता है।)

"स्टोरेज टैंक के मरम्मत कार्य हेतु "

---

2. यह लाइसेंसऊ पर नामित पक्षकार के लिए **"88/17 राम गोपाल विद्यान्त रोड, लखनऊ"** अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।
3. यह लाइसेंस 15 जून, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक विधिमान्य है।
4. मरम्मतकर्ता नीचे अंकित शर्तो का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।
5. पक्षकार को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में बाटों, मापों, तौल या माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिये लाइसेंस दिया जाता है। **"सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश"**

स्थान – लखनऊ

दिनांक 15 जून, 2018 (मोहर)

15-6-2018

नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान
उत्तर प्रदेश

नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान
उ0प्र0 लखनऊ

टिप्पणी – फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा–1 में दिये जाने चाहिए।

लाइसेंस की शर्तें

1— वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाता है—

(क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के समस्त सुसंगत उपबन्धों और नियमों का अनुपालन करेगा।

(ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उसका पक्ष लेगा।

(ग) इस लाइसेंस को उस भू–गृहादि के जिससे इसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।

(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाय।

(ङ) व्यवसाय के बन्द होने और/या लाइसेंस के निरस्तीकरण की स्थिति में लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा

(च) (एक) सम्यक् रूप से मरम्मत किये गये यथास्थिति बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों को उपयोक्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 14 मे विनिर्दिष्ट सत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(दो) बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन प्राप्त होने के दिनांक के पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहाँ इस प्रकिया के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी की सत्यापन स्टाम्प मिट जाती है, अलग हो जाती है या टूट जाती है, उसे उपयोक्ता को देने के पूर्व सम्यक रुप से मरम्मत करते हुए पुनःसत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के दिनांक से नब्बे दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।

2— इस लाइसेंस के जारी किये जाने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त, यदि सरकारी गजट में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

नवीकरण प्रविष्टियाँ

चालू संख्या............................दिनांक	चालू संख्या............................दिनांक ....
वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।	वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या............................दिनांक	चालू संख्या............................दिनांक ....
वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।	वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या............................दिनांक	चालू संख्या............................दिनांक ....
वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।	वर्ष............................के लिए नवीकृत किया गया।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान	(मोहर) विधिक माप विज्ञान

कोषागार प्रपत्र-२०६ (१)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-४, भाग-२

प्रपत्र संख्या-४३ए (१)

(प्रस्तर ४१७ एवं ४७८ देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(उपकोषागार/बैंक का नाम व ब शाखा) भारतीय स्टेट बैंक व्यवसायी शाखा लखनऊ

१- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — मे० गिरीश चन्द्र घोज एण्ड जी०जी० एस

२- पता — 41/17 राम गोपाल विद्यालय रोड लखनऊ

३- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो)

४- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की रही तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) — नया मरम्मतकर्ता लाइसेन्स शुल्क (सम्पूर्ण उ०प्र०) एक सौ मात्र

५- चालान की सकल राशि

६- चालान की निवल राशि

७- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक को मुहर :

1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें
106-बाटों मापों के लिए पुनरांकन शुल्क
02-शमन शुल्क
03-अन्य प्राप्तियाँ

८- लेखा-शीर्षक का कोड १३ डिजिट कोड

मुख्य-लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्योरेदार-शीर्षक	धनराशि
1475	00	106	02 / 00 / 00	00 / 0	100/-
					100=0

धनराशि (शब्दों में) रुपया एक सौ मात्र

योग

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(मुहर: वरिष्ठ निरीक्षक, ... माप विज्ञान (बाँट तथा माप) लखनऊ)

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : 2Q60066 B1001

(मुहर: सरकारी जमा नकद प्राप्त किया ... भारतीय स्टेट बैंक)

अंकों में रू०

शब्दों मे रू०

दिनाँक : 02.06.2018

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित